न्यायालय :– न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धरमपुरी, जिला धारम0प्र0

Registration No. SCMT 569/2021
Filling No. SCMT - 1682/2021
CNR No. MP 0 8 0 0 2 0 1 4 2 0 2 2
Filling Date- 17/10/22

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा,
पुलिस थाना धामनोद, जिला धार म0प्र0 ....अभियोगी

:::विरूद्ध:::

(1) पविद्र पिता नवान नंगा उम्र -30 साल नि संजयनगर थाना धामनोद
आदि - 4 अन्य आरोपी ....अभियुक्त

–: नि र्ण य :–

(आज दिनांक– 17/10/22 को घोषित)

1– आरोपी / आरोपीगण के विरूद्ध धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– आरोपी / आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धारा के तहत पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध होने से अपराध की विषिष्टियां आरोपी को सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। इस समरी शीट के आगे अपराध का विवरण विरचित कर प्ली अंकित की गई।

3– आरोपी / आरोपीगण द्वारा अपराध करना स्वेच्छया करने से आरोपी / आरोपीगण के विरूद्ध पृथक से अपराध साबित किया जाना आवष्यक नहीं है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी / आरोपीगण ने आगे अपराध विवरण में विरचित उक्त अपराध कारित किया है।

4– आरोपी / आरोपीगण द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति को देखते हुए आरोपी / आरोपीगण 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम में प्रत्येक आरोपी को 700-700/- (कुल 3500/- रुपये) (सात सौ- सात सौ रु. कुल पैंतीस सौ रुपये ... रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर आरोपी / आरोपीगण को उक्त धारा में .... दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावें।

5– प्रकरण में जप्तषुदा ताष–पत्ती मुल्यहीन होने से नष्ट किये जावें एवं जप्त की गई राषि कुल रूपये.................................(.................1030/-..................................रूपयें) अवैध राषि होने से राजसात की जाकर कोषालय में जमा की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित।

स्थान–
दिनांक –

17/10/2022
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धरमपुरी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)

2022/11/23 19:12